प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

(**माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश**)

<u>दांडिक अपील क्रमांक</u> <u>1292/1997</u>

<u>अपीलार्थी</u> राज सोनवानी

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

दिनांक **30/10/2012** को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

दिनांक **29-10-2012**

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

(**माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश**)

<u>दांडिक अपील क्रमांक</u> <u>1292/1997</u>

<u>अपीलार्थी</u> राज सोनवानी

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थित :

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शशि भूषण तिवारी, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से ।

श्री वैभव गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)</u>

<u>निर्णय</u>

(दिनांक **30-10-2012)**

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 135/95 में दिनांक 10-06-1997 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें आरोपी/अपीलार्थी को सात वर्ष के सश्रम कारावास से और 200 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया हैं, जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 04-03-1995 को अभियोक्त्री की माता सुखवती (अ.सा. -3) ने पुलिस चौकी चिखली में एक क्रमांकित एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी./14) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी (अभियोक्त्री) उससे एक दिन पहले यानी 03-03-1995 से राजनांदगांव स्थित अरुण के घर से लापता है, जिसके

साथ वह रह रही थी। आरोप है कि आरोपी/अपीलार्थी भी उसी दिन से लापता है और वही उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बाद में क्रमांकित एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी/15) कोतवाली पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज की गई। दिनांक 04-03-1995 को अभियोक्त्री को आरोपी/अपीलार्थी के घर से (प्रदर्श पी-8) बरामद किया गया और उसी दिन उसका केस डायरी बयान (प्रदर्श डी-1) दर्ज किया गया जिसमें उसने कथन किया है कि आरोपी/अपीलार्थी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और साड़ी, ब्लाउज, मंगलसूत्र की पेशकश की और सिंदूर लगाने के बाद उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए। विवेचना के बाद, पुलिस ने दिनांक 17-04-1995 को धारा 363, 366 और 376 भा.द.वि. के तहत अपराधों के लिए अभियोग पत्र दाखिल की। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त धाराओं के तहत उसके खिलाफ आरोप तय किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 09 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता और मामले में झूठे फंसाए जाने का अभिवाक् किया।

4. पक्षकारों की बात सुनने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन उसे इस निर्णय के कण्डिका क्रमांक 01 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अभिलेख पर कोई विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है और तथाकथित शाला पंजी की फोटोकॉपी, जिसे प्रदर्श पी-3 (सी) के रूप में चिह्नित किया गया है, विधि में ग्राह्य नहीं है क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अभियोजन पक्ष ने उक्त दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया था और यह चालान का हिस्सा नहीं था। उन्होंने बताया कि विवेचना अधिकारी (अ.सा.-07) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों के प्रवेश से

संबंधित उक्त पंजी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि इस दस्तावेज़ में ललिता यादव द्वारा प्रविष्टि की गई है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी परीक्षण नहीं कराया गया है और उक्त दस्तावेज़ को विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती वेद कुमारी ठाकुर ने प्रमाणित किया है। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि सुखवती (अ.सा.-3) – अभियोक्त्री की मां ने कहा है कि वह अभियोक्त्री के जन्म वर्ष नहीं बता सकती और शाला पंजी में प्रविष्टि शिक्षकों के अनुमान के आधार पर की गई थी। वह आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते है कि दस्तावेज़ प्रदर्श पी/12 - स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ भी ऐसी ही स्थिति है, जिसमें प्रदर्श पी/ 3 सी के आधार पर प्रविष्टि की गई है, जो विधि के तहत अनुमेय नहीं है। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे कहा कि सुखवती (अ.सा.-3) के बयान के अनुसार अभियोक्त्री का जन्म दुर्ग के एक शासकीय अस्पताल में हुआ था और यदि ऐसा था, तो अभियोजन पक्ष को शासकीय अस्पताल का अभिलेख पेश करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अभियोक्त्री की चिकित्सकीय विवेचना डॉ. आई. चेलानी ने की थी, जिन्होंने उसे रेडियोलॉजिकल विवेचना के लिए भेजा था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट साबित नहीं की गई है। वह यह तर्क देता है कि यद्यपि अप्रदर्शित एक्स-रे रिपोर्ट मौजूद है जिसके अनुसार अभियोक्त्री की उम्र घटना के समय 15 से 16 वर्ष के बीच थी और यदि इसमें तीन वर्ष का अंतर भी शामिल किया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री घटना के समय **16** वर्ष से कम आयु की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि के अनुसार हैं और उनमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ को सुना गया और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया ।

8. अभियोक्त्री **(**अ.सा.**-09)** ने कहा है कि उसने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है लेकिन उसे अपनी जन्मतिथि याद नहीं है। उसने बताया है कि उस समय उसकी उम्र लगभग **16**

वर्ष थी और उससे लगभग दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। घटना के समय, वह अपने चाचा अरविंद के घर राजनांदगांव आई थी, जहां उसका संपर्क एक ऐसी महिला से हुआ जो उसके चाचा के घर के पास रहती थी। घटना वाले दिन उक्त महिला ने उसे कुछ खाना दिया और फिर आरोपी/अपीलार्थी उसे बलपूर्वक बस से किसी दूसरे गांव ले गया। इस गवाह ने आगे कहा है कि उसे घर में ले जाने के बाद उसने उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए। उसने बताया है कि आरोपी/अपीलार्थी की बहन ने उसे सलवार भेंट की थी और वह आरोपी/अपीलार्थी को जानती थी जो उसके चाचा के घर के पास रहता था। उसने यह भी बताया कि वह टीवी देखने के लिए उसके घर जाया करती थी जहाँ वह खाना भी खाती थी। घटना वाले दिन जब वह अपने चाचा के घर में सो रही थी, तब आरोपी/अपीलार्थी की बहन ने उसे बुलाया और फिर वह आरोपी/अपीलार्थी के साथ चली गई। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जब वह बस में चढ़ी तो उसमें कई यात्री मौजूद थे, लेकिन उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा उसे बलपूर्वक ले जाया गया था। इस गवाह के अनुसार, आरोपी/अपीलार्थी की मां उसे बहू कहकर बुलाती थी और यह तथ्य पुलिस को बताया गया था, लेकिन अगर इसे रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसके साक्ष्य के पैरा क्रमांक **04** से यह पता चलता है कि उसकी केस डायरी के बयान की तुलना में उसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास और कमियां हैं। डॉ.एस.के.अग्रवाल **(अ.सा.-2)** वह गवाह हैं जिन्होंने आरोपी/ अपीलार्थी की चिकित्सकीय जांच की और अपनी रिपोर्ट **(प्रदर्श पी-1)** दी जिसमें कहा गया कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम था। डॉ. आई. चेलानी **(अ.सा.-04)** वह गवाह हैं जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की और अपनी रिपोर्ट **(प्रदर्श पी-04)** दी जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उसके गुप्तांग पर ताजा रक्तस्राव के साथ चोट देखी और वह दर्द की शिकायत कर रही थीं। इस गवाह ने आगे कहा है कि अभियोक्त्री के गुप्तांग पर लगी उक्त चोट यौन संबंध के कारण हो सकती है। हालांकि उन्होंने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में कोई राय नहीं दी है और उम्र निर्धारण के लिए उन्होंने उसे एक रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा था। श्रीमती वेद कुमारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ठाकुर **(अ.सा.-02) -** शाला की प्रधानाध्यापिका ने कहा है कि शाला पंजी में अभियोक्त्री की जन्मतिथि **02-05-1982** दर्ज है और उसे उसकी मां द्वारा शाला में दाखिला दिलाया गया था। इस गवाह के अनुसार, शाला पंजी में प्रविष्टि उनकी सहायिका ललिता यादव द्वारा **04-07-1988** को की गई थी और मूल पंजी को प्रदर्श पी**-3** के रूप में और उसकी फोटोकॉपी को प्रदर्श पी**-3** सी के रूप में चिह्नित किया गया था। हालांकि, न्यायालय में शाला के पंजीकरण की फोटोकॉपी उपलब्ध है, लेकिन इसे न तो प्रदर्श पी**-3**सी के रूप में चिह्नित किया गया है और न ही प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची में इस दस्तावेज़ को इस रूप में दिखाया गया है। गवाही के दौरान, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री की मां द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शाला पंजी में प्रविष्टि की गई थी और उसके द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। सुखवती **(अ.सा.-3) -** अभियोक्त्री की मां ने कहा है कि घटना के समय अभियोक्त्री अरुण नाम के एक व्यक्ति के घर में रह रही थी और घटना वाले दिन अरुण ने उसे बताया था कि कोई अभियोक्त्री को अपने साथ ले गया है। उसके अनुसार, हालांकि अरुण ने अभियोक्त्री को अपने साथ ले जाने वाले व्यक्ति का नाम बताया था, लेकिन वह इसे भूल गई। इसके बाद वह अरुण के साथ राजनांदगांव गई और जब उसने आरोपी/अपीलार्थी के माता-पिता से अभियोक्त्री को उसे सौंपने के लिए कहा, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस गवाह के अनुसार, जब उसने अपनी बेटी को देखा, तो आरोपी/अपीलार्थी के माता-पिता ने उसे बताया कि वह (अभियोक्त्री) उनकी बहू के रूप में उनके घर में थी, और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अपनी प्रारंभिक गवाही में, इस गवाह ने कहा है कि अभियोक्त्री की उम्र लगभग **13** वर्ष थी, लेकिन प्रति-परीक्षण में उसने कहा है कि उसके पास अभियोक्त्री की जन्मतिथि से संबंधित कोई अभिलेख नहीं है और न ही वह बता सकती है कि वह (अभियोक्त्री) किस वर्ष पैदा हुई थी। ऐसा कहा गया है कि वह अभियोक्त्री को शाला में दाखिला दिलाने के लिए ले गई थी और उसने जन्मतिथि अनुमान के आधार पर बताई थी और शाला के शिक्षकों ने भी पंजी में प्रविष्टि केवल अनुमान के आधार पर ही की होगी। उनके अनुसार, अभियोक्त्री का जन्म शासकीय अस्पताल में हुआ था, लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्हें याद नहीं है कि नगर निगम के अभिलेख में इसका कोई उल्लेख किया गया था या नहीं। उन्होंने आगे बताया कि जब वह अभियोक्त्री को आरोपी/अपीलार्थी के घर से लेने गई थीं, तो अभियोक्त्री ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। यदि इस गवाह के न्यायालय में दिए गए बयान की तुलना उसकी केस डायरी में दिए गए बयान से की जाए, तो उसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास और कमियां दिखाई देती हैं। तुलसीदास **(अ.सा.-05)** वह पटवारी है जिसने मौका नक्शा **(प्रदर्श पी-06)** तैयार किया। मीना विश्वकर्मा **(अ.सा.-06)** वह आरक्षक है जिसने अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षण के लिए ले गयी थी और प्रदर्श पी-**05** के माध्यम से उसकी योनि स्लाइड जब्त की। आर.ए. यादव **(अ.सा.-07)** विवेचना अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। कण्डिका क्रमांक **07** में उन्होंने कहा है कि वे अभियोक्त्री के शाला गए थे, लेकिन शाला पंजी उपलब्ध नहीं है जिसमें उनके संबंध में प्रविष्टि की गई हो। कमलेश कुमार **(अ.सा.-08)** वह गवाह है जिसने राजनांदगाँव के कोतवाली पुलिस थाना में बिना क्रमांकित वाली एफ.आई.आर दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोक्त्री बिना किसी विरोध के अपनी मर्जी से आरोपी/अपीलार्थी के साथ गई थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अभियोक्त्री से विवाह करने के बाद आरोपी/अपीलार्थी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए। अतः यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री आरोपी/अपीलार्थी के कृत्य में सहमति देने वाली पक्षकार थी। अब इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि सुसंगत समय पर अभियोक्त्री की आयु क्या थी। अभिलेख में ऐसा कोई विधिक रूप से मान्य साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियोक्त्री की उम्र निर्धारित की जा सके। अभिलेख में ऐसा कोई विधिक रूप से मान्य साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियोक्त्री की उम्र निर्धारित की जा सके। यद्यपि शाला की प्रधानाध्यापिका को अभियोजन पक्ष द्वारा अ.सा. **02** के रूप में परीक्षित किया गया हैं, उन्होंने यह कहा हैं कि शाला पंजी में प्रविष्टि उनकी सहायक ललिता यादव द्वारा की गई थी, जिसे दुर्भाग्यवश अभियोजन पक्ष

द्वारा परीक्षित नहीं किया गया हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोक्त्री की मां भी अपनी बेटी की सटीक जन्मतिथि बताने में विफल रही है और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी जन्मतिथि केवल अनुमान के आधार पर दर्ज की गई थी। उनके अनुसार अभियोक्त्री का जन्म एक शासकीय अस्पताल में हुआ था, लेकिन अभियोजन पक्ष इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है। इसके अलावा, अभियोक्त्री की उम्र का पता लगाने के लिए उसे रेडियोलॉजिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के तहत आवश्यक ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अतः अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश करके अपना मामला, विशेष रूप से अभियोक्त्री की उम्र, साबित करने में सक्षम नहीं रहा है, और इसलिए, आरोपी/अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

10. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। आरोपी/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से बरी किया जाता है। चूंकि वह पहले से ही जमानत पर है इसलिए उसकी रिहाई आदि के संबंध में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.